न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 10/2018

श्री बाबूलाल पुत्र श्री केसरा जाति बागरिया, निवासी ग्राम बागरियों के ढाणी, रूपनगढ, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री भीयाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–24.05.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्री बाबूलाल पुत्र श्री केसरा जाति बागरिया, निवासी ग्राम बागरियों के ढाणी, रूपनगढ, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ने ग्राम रूपनगढ के आराजी खसरा नम्बर 285 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.10 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से झौंपड़ी व चद्दर डाल कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 09/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.08.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28.08.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी पर ना तो कभी कब्जा था और ना ही

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वर्तमान में है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की सिवायचक भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि अपनी आवंटनशुदा भूमि जो कि सिवायचक आराजी के लगती हुई है, उस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी पैमाईश किये बिना व इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए राजनैतिक द्वैषतावश आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि के अलावा शेष भूमि मौके पर रिक्त पड़ी हुई है। अपीलान्ट की आवंटनशुदा आराजी पर चारो ओर मेड़ व डोल बने हुए हैं। अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर ना तो कभी कब्जा किया है एवं ना ही कभी हटाया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि तहसीलदार रूपनगढ द्वारा विवादित आराजी का भौतिक सत्यापन करवाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया जाना चाहिये था लेकिन उन्होने ऐसा नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गै0मु0 चरागाह दर्ज है, जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का रूपनगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से झोंपड़ी व चद्दर डालकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.05.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner